

फर्द अहकाम

गिरिशाल वरुण बरुण नाम नरीम ११/०

उपखण्ड अधिकारी जमवारापगढ़

नाम न्यायालय

केस संख्या ११/२०२१

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या
दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

०१/०१/२५

पत्रावली फेर ६६, वकील जवाही उषण
पत्रावली माइशर के विचारधीन है।
पत्रावली का अनलोकन किया गया।
वकील जवाही की वरुण का पत्र
किया गया। पत्रावली का अनलोकन
करके यह पाया कि जवाहीगण (६६)
शुक्लिन पत्र के माइशर अपन (कार्टरी)
शुक्लिन (वारा) नंबर ७४०, ७४५ का
पत्र के सीमाखान नहीं करता है ना
ही पत्रावली के कड़ी सीमाखान फेर
की गई है। ऐसी स्थिति के बिना सीमाखान
करके पक्षराजी के माइशर किया जाना
एके अर्थात् नहीं संभव है। अपन जवाहीगण
का जवाहीगण पत्र अनलोकन धार १२८
अधिनियम के अन्तर्गत के
आधार पर माइशर किया
जाया है। जवाहीगण अपन (कार्टरी)
शुक्लिन का सिफारिशानुसार सीमाखान
कराकर उक्त पक्षराजी हेतु जवाहीगण
पत्र उद्घाटन करने के लिए स्थगित है।
पत्रावली के जिला आल सरे सुपार
उनापन गया।

पत्रावली केसल सुपार हेतु कर गए
ले कर हे वारा वाइ शुक्लिन केसल
शांति सुपार है।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारापगढ़